

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**मार्च, 2022 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2022 (फाल्गुन 17, 1943)**

**समय 11.00 बजे दिन**

## **1. निधन का उल्लेख.**

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (2) श्री रमेश वर्ल्यानी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (3) श्री मदन सिंह डहरिया, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
- (4) श्री तिलक राज सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य, तथा
- (5) सुश्री लता मंगेशकर, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका.

## **2. प्रश्नोत्तर.**

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## **3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.**

**डॉ.नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार-

- (क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021), एवं
- (ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 1 सन् 2022)

पटल पर रखेंगे.

## **4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.**

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री**, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशंस एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 66 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री**, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 (संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.ग्वालियर द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(4) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 53 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री**, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री इंद्र सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन**, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016, चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 एवं पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 पटल पर रखेंगे.

**5. दिसम्बर, 2019 सत्र से दिसम्बर, 2021 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-9 पटल पर रखा जाना.**

**6. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

**7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.**

**8. सभापति तालिका की घोषणा**

**9. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.**

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

**भोपाल :**  
**दिनांक : 07 मार्च, 2022**

**ए. पी. सिंह**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**